भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4443
जिसका उत्तर मंगलवार, 21 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है

पी.एस.यू. में महिलाओं की भर्ती

4443. श्री सदाशिव लोखंडे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश विशेष रूप से महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रो में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों और महिलाओं की भर्ती के लिए कोई योजना/नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भर्ती महिलाओं सहित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): निःशक्त व्यक्तियों और महिलाओं की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति/अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू हैं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए अलग से कोई योजना/नीति प्रतिपादित नहीं की गई है।

(ख): भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, निःशक्त व्यक्तियों और महिलाओं की भर्ती के संबंध में भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, लक्ष्य की तुलना में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 77 निःशक्त व्यक्तियों और 243 महिलाओं को भर्ती किया गया है।

****